



कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
**EMPLOYEES' STATE  
INSURANCE CORPORATION**  
(Ministry of Labour &  
Employment, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय/ **REGIONAL OFFICE,**  
पंचदीप भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर-208005  
**PANCHDEEP BHAWAN,**  
**SARVODAYA NAGAR, KANPUR-**  
**208005**  
**Phone: 0512-2217957**  
**Email: rd-up@esic.nic.in**

पत्र सं. 21-ए-36/11/6/2024-स्था.-I-Part (1)

दिनांक: 17-10-2025

**कार्यालय आदेश संख्या 93 वर्ष 2025**

सक्षम अधिकारी ने निम्नलिखित मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) के नियमित अवर श्रेणी लिपिक (UDC) के पद पर पदोन्नति हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित किये जाने के उपरान्त, इनकी नियमित अवर श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति के आदेश दिये हैं, इन्हें वेतनमान 7th CPC Pre Revised {पी.बी.-1 (रु.5200-20200) + ग्रेड पे रु.1900/-} के नियमानुसार देय होगा।

| क्रमांक | कर्मचारी का नाम एवं पद (सर्व श्रेणी/श्रीमती/सुश्री) | कर्मचारी संख्या | वर्तमान तैनाती                           | आदेशित नियमित पद व तैनाती                                  |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1       | राज किशोर साह, अ. श्रे. लि.                         | 173451          | विधि शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर    | अवर श्रेणी लिपिक, विधि शाखा क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर     |
| 2       | रोहित कुमार, अ. श्रे. लि.                           | 173452          | उप क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा             | अवर श्रेणी लिपिक, उप क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा             |
| 3       | हनुमंत लाल पासी, अ. श्रे. लि.                       | 173416          | रोकड़ शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर   | अवर श्रेणी लिपिक, रोकड़ शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर   |
| 4       | राकेश कुमार, अ. श्रे. लि.                           | 173566          | केयरटेकर सेल, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर | अवर श्रेणी लिपिक, केयरटेकर सेल, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर |

उपरोक्त कर्मचारियों की नियमित पदोन्नति अस्थाई आधार पर की गई है तथा ऐसी सेवा शर्तों के अधीन है जो ESIC (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1959 जो समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है, में उल्लिखित हैं।

उपरोक्त कर्मचारियों की तैनाती फिलहाल उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर ही की गई है, स्थानान्तरण आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

पदोन्नत कर्मचारियों का वेतन नियतन नियमानुसार FR 22(1)a(1) के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। पदोन्नत कर्मचारियों को, इस आदेश के जारी होने की तिथि से 01 माह के अन्दर FR 22(1)a(1) के अंतर्गत वेतन नियतन हेतु, अपना विकल्प देना होगा। विलम्ब से प्राप्त होने वाले विकल्प पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण रिपोर्ट स्थापना शाखा - I तथा स्थापना शाखा- II, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर को भेज दी जाये।

(अनुराग कुमार)  
उप निदेशक (स्थापना - I)  
कृते क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि :

- संबंधित कर्मचारी (नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से)।
- महानिदेशक (भर्ती सेल), मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- क्षेत्रीय निदेशक महोदय के निजी सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, कानपुर को सूचनार्थ।
- संयुक्त निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, नोएडा/लखनऊ/वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- डीन, क.रा.बी. निगम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, वाराणसी सूचनार्थ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम अस्पताल, जाजमऊ, कानपुर/बरेली/लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- समस्त शाखा अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर के अधीन समस्त शाखा कार्यालय/औषधालय सह शाखा कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- शाखा अधिकारी, आई.टी. शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, कानपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- शाखाधिकारी राजभाषा शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस कार्यालय आदेश का अंग्रेजी में अनुवाद कराने का श्रम करें।
- नोडल अधिकारी, ई-ऑफिस, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
- क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, कानपुर के सभी नोटिस बोर्ड।